

# डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)  
बईजलास सुनील कुमार मीणा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

1- मु. लीला पुत्री अम्बालाल भील निवासी बड़ेसरा हाल निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा  
जिला भीलवाड़ा

- वादिया

बनाम

- 1- अम्बालाल पुत्र मगना भील निवासी बड़ेसरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- छगना पुत्र मगना भील निवासी बड़ेसरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 3- मु. बीमा मगना भील निवासी बड़ेसरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 4- मैनेजर भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ढीकोला
- 5- तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 6- उप पंजीयक ढीकोला तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र बंटवाड़ा आराजियात, खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा 53, 188, 88 रा.टि.एक्ट

मुकदमा नम्बर 33/2022 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व  
.....X ..... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी  
जाती है कि :-

अभिभाषक वादिया द्वारा नोट प्रेस किया जाकर आगे कार्यवाही नहीं चाहने से वाद वादिया  
नोट प्रेस खारिज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख  
व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 25 माह 08 सन् 2025 को जारी की गई।



(सुनील कुमार मीणा)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलेक्टर, शाहपुरा